

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठारीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 49/2023

GCMS CASE NO-2023/49

1 सुगनाराम पुत्र श्री देवाराम जाति मेघवाल साकिन 24 एसडी तहसील सूरतगढ़

अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार राजियासर।

रेस्पोंडेंट

उपरिस्थिति:-

1. श्री शीशपाल शर्मा अपीलांत

2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

-:निर्णय:-

दिनांक : 05.08.2024

अपील में सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांत को चक 24 एसडी के प.न. 152/416 कि.न. 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228, 24/1 में 0.228,, कुल 0.684 है0 भूमि के बाबत अपीलांत को बिना सुने मौका पर खड़ी फसल जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दिये, का निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांत को चक 24 एसडी के प.न. 152/416 कि.न. 22/1 में 0.228, 23/1 में 0.228, 24/1 में 0.228,, कुल 0.684 है0भूमि के बाबत अपीलांत को बिना सुने मौका पर खड़ी फसल जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दिये, का निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अपीलांत को चक 24 एसडी के प.न. 152/416 के कि.न. 17 ता 25/1 में 1.366 है0 रकबा आवंटन नियम 1975 के नियम 14 ख में मीडियम पेच में दिनांक 16.01.2016 को आवंटन हो गया था। जिसकी किश्त जमा करवाने के बाद अपीलांत के नाम पट्टा जारी हो गया तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा अमलदरामद के लिये कार्यवाही हो गई तत्पश्चात हरबंस कौर ने श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक अपील संख्या 30/2016 मनफूल बनाम सुगनाराम पेश हुई जो दिनांक दिनांक 16.06.2016 को स्वीकार होने पर इस निर्णय के खिलाफ अपीलांत ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 5046/16 सुगनाराम बनाम मनफूल सिंह पेश की जो आज भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

1016



Scanned with OKEN Scanner


Scanned with OKEN Scanner

राजस्व मण्डल में जैरकार है। रकबा राजस्व रिकार्ड में अराजीराज ही दर्ज चला आ रहा है। रकबा अपीलांट के पिता का सन 1983 से नाजायज कब्जा काश्त मे था तथा अपीलांट के पिता के फौत होने के बाद उक्त रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त था अपीलांट का इस चक 24 एसडी के प.न. 152/421, 152/422, 153/422, के 5.213 है0 में 1/24 हिस्सा खातेदारी है तथा चक 24 एसडी के प.न. 153/416 के कि.न. 16 ता 25 का रकबा अराजीराज दर्ज था जो मीडियम पेच का टुकडा था जिस पर अपीलांट का का पैतृक कब्जा काश्त था जिसको अपीलांट कब्जा नियमन में आवंटन करवाने का हकदार था। अपीलांट ने इस रकबा बाबत् 191490/- रुपये जमा करवाए हुए है। इस प्रकार अपीलांट इस रकबा का कब्जा साधिकार रखने का अधिकारी है। अतः नायब तहसीलदार राजियासर द्वारा पत्रावली संख्या 02/2023 में पारित निर्णय दिनांक 2.3.2023 निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। रकबा राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 02.03.2023 यथावत रखा जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वे अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है। प्रकरण अपर न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः अपील सारहीन होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.03.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(कन्हैया लाल सोनगर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)  
सूरतगढ़

